(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 61 / 2018

बउनवान

श्री गोरधन आयु 50 वर्ष पुत्र गोपाल जाति लोधा निवासी गेहूँखेडी तहसील छबडा जिला बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबडा जिला बारां **(रेस्पोडेन्ट)**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1– श्री संजय नागर अभिभाषक **(अपीलांट)**

2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 14.08.2019

अपीलांट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 950 / 2017 के अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में पारित निर्णय दिनांक 8.11.2017 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम सुभानपुर कदीम की सरकारी भूमि किस्म नाला पर सम्वत् 2074 में खसरा नम्बर 63 की रकबा 2 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं तावान राशि 100 / – रूपये से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 16.03.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय छबडा द्वारा पारित निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यो के प्रतिकूल होने से काबिले खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवायी एवं जवाब देही का अवसर दिये बिना, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना स्वतंत्र साक्ष्य लिये पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट की अनुपस्थिति में एकतरफा निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांट को बेदखल नही किया गया है मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अलीलांट का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नही है। अपीलांट को प्रोपर तामील भी नही करवाई गयी है ओर भौतिक रूप से अपीलांट को विवादित आराजी से बेदखल भी नही किया गया है। अपीलांट द्वारा तावान की

राशि भी जमा करवा दी है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय, छबडा द्वारा पारित निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.2.2018 को पुलिस तलाशने गांव मे आयी तब हुयी, इसके बाद दिनांक 16.2.2018 को आवेदन पेश कर दिनांक 19.02.2018 को नकल निर्णय प्राप्त किया। अस्तु जानकारी से अपील अन्दर मियाद पेश कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म नाला पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर पर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष मे भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको न्यायालय नायब तहसीलदार के द्वारा तावान राशि से दण्डित किया जाकर मौके पर सम्वत् 2073 मे पटवारी हल्का द्वारा भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर, पुनः अतिक्रमण नही किये जाने हेतु पाबन्द किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2074 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। जिसकी तामील भतीजे (परिवार) के सदस्य को कराई गई है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा में अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे पटवारी हल्का के बयान इत्यादि संलग्न है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 950/2017 में पारित आदेश दिनांक 8.11.2017 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि तहसीलदार छबडा 7 दिवस मे आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौके पर अतिक्रमण की जॉच कराई जावे यदि अपीलांट का अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम सुभाषपुर कदीम तहसील छबडा के खसरा नम्बर 63 की रकबा 2 बीघा भूमि किस्म नाला पर कब्जा नही पाया जावे, तो तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 950/2017 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 8.11.2017 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.11.2017 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.09.03 15:58:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: